न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

R - 1001-I/12

1— पारवती पत्नी कामता प्रसाद वैश्य

2— सोन कुमारी पत्नी लालता प्रसाद वैश्य

निवासी ग्राम धिनहागांव, तहसील देवसर, जिला सिगरौली (म0प्र0)

------निगरानीकर्तागण

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर सिगरौली (म0प्र0)

------गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध अपर कलेक्टर महोदय जिला सिगरौली प्रकरण क0—17/निग0/2009—10 में पारित आदेश दिनांक 08/01/10 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 ई0

प्रकरण के तथ्य :—

यह कि भूमि खसरा नं0—823 रकवा 0.29 हे0 स्थित ग्राम धिनहागांव, तहसील देवसर, जिला सिगरौली आवेदिकागण के स्वामित्व के जमीन जो बन्दोवस्त सर्वेक्षण बाद वर्ष 90—91 में में शासन के नाम इन्द्राज कर दी गई जिसकी जानकारी होने के बाद अभी तक आवेदकगण ने तहसीलदार सिगरौली के न्यायालय में संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भू—अभिलेखो में हुई गलत प्रविष्टि सुधार कर भूमिस्वामित्व दर्ज करने का निवेदन किया तहसीलदार ने प्रकरण क0—59अ6अ/2003—04 में दिनांक 12/04/04 को भूमिस्वामित्व में दर्ज करने का आदेश पारित किया जिसे अपर कलेक्टर जिला सिगरौली ने प्रकरण क0—17/निग0/2009—10 में दिनांक 08/01/10 को सोमोटो में लेकर म0प्र0 शासन के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध आवेदिकागणों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–1001-I / 12** जिला–सिंगरौली

पारवती वैश्य / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार सोनी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 17 / निग0 / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	